भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4668

दिनांक 23.04.2002 को उत्तर के लिए

द्विभाषिक पत्राचार

4668. प्रो.दुखा भगतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने द्विभाषिक पत्राचार के लिए कोई अनुदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से कार्यालयों/विभागों में द्विभाषिक कंप्यूटर लगाये गये हैं ;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न मंत्रालयों में लगाये गये कंप्यूटरों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है ;

(घ) क्या सरकार ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में सरकारी पत्राचार करते समय केवल हिंदी भाषा में ही पत्राचार करने के संबंध में कोई कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी)

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 3 तथा 4 में तत्संबंधी अनुदेश हैं । संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1967 (अधिसूचित 18 जनवरी, 1968) के अनुदेशों की अनुपालना में राजभाषा विभाग एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर लक्ष्य निर्धारित करता है । कार्यक्रम में सभी इलैक्ट्रानिक उपकरणों में द्विभाषिक कार्य क्षमता उपलब्ध करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । इसकी तुलना में उपलब्धि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1999-2000 में दर्शायी गई है, जिसे लोकसभा के पटल पर दिनांक 16.04.2002 को रखा गया ।

(ग) इस तरह के आंकड़े नहीं रखे जाने के कारण यह सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती ।

(घ) तथा (ङ) संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रति-वर्ष जारी होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी-भाषी क्षेत्रों ('क' क्षेत्र) में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने के लिए लक्ष्य रखे गए हैं ।